मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
11/09/~~16~~ 17	02/07/21	~~4~~ 3 वर्ष, 2 माह, 29 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 460/2017

रमेश कुशवाहा पुत्र श्री रघुनाथ कुशवाहा उम्र 49 वर्ष निवासी भाण्डेरी फाटक बाहर वेयर हाउस के पीछे, दतिया तहसील व जिला दतिया,म.प्र.

----याची

प्रति

1. राजेन्द्र प्रसाद चावला पुत्र श्री सर्व सिंह चावला निवासी कानपुर रोड, झाँसी जिला झाँसी, उ.प्र.
..... पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यूपी93 टी4932

2. दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड झाँसी जरिये मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कचहरी चौराहा, झाँसी, उ.प्र.
..... बीमाकर्ता ट्रक नं. यूपी93 टी4932

3. बलवीर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल स्थायी निवासी शिवाजी नगर, झाँसी जिला झाँसी हाल निवासी ग्राम बराठा थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
.....चालक ट्रक नं. यूपी93 टी4932

---- विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं.1 के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल
विपक्षी सं.2 के अधिवक्ता- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची रमेश द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई गम्भीर चोटों व स्थाई अपंगता के कारण ₹49,00,000 क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनाँक 02.03.2017 को अपनी मोटर साईकिल नं. एमपी32 बी4347 को सावधानी पूर्वक धीमी गति से अपने बाँये हाँथ पर चलाते हुये झाँसी से दतिया जा रहा था। मोटर साईकिल पर पीछे बृजलाल बैठा हुआ था। याची दोपहर करीब 3.00 बजे जब राधा स्वामी आश्रम के पास अन्तर्गत चौकी ग्वालियर रोड थाना सीपरी बाजार, झाँसी पहुँचा तो दतिया की तरफ से सामने से ट्रक नं. यूपी93 टी4932 अत्यधिक तेजी व लापरवाही पूर्वक आ रहा था, जिसको देखकर याची ने अपनी मोटर साईकिल को एकदम धीमा करके अपने बाँये हाँथ पर कच्चे में कर ली, इसके बावजूद उक्त ट्रक के चालक ने गलत साईड में आकर याची की मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे याची व मोटर साईकिल पर पीछे बैठे बृज लाल कई फीट दूर जाकर गिरे व गम्भीर रूप से घायल हो गये। दुर्घटना की रिपोर्ट याची ने थाना सीपरी बाजार पहुँचाई तो पुलिस द्वारा कहा गया कि जब याची स्वयं आयेगा तब रिपोर्ट लिखी जावेगी। याची जब ठीक हुआ तब दिनाँक 10.08.2017 को एम्बुलेंस से रिपोर्ट लिखाने गया तब मुकदमा अपराध सं. 318/2017 पंजीकृत किया गया। दुर्घटना के समय याची राज-मिस्त्री का कार्य करता था। लेकिन दुर्घटना में आई चोटों के कारण याची का दाँया पैर घुटने के ऊपर से कट जाने के कारण उसे स्थायी अपंगता प्रमाण-पत्र के अनुसार 70 प्रतिशत स्थायी अपंगता आई है और याची की कार्य करने की क्षमता शत प्रतिशत खत्म हो गई है। दुर्घटना के पूर्व याची राज-मिस्त्री का कार्य करके ₹15,000 प्रतिमाह कमाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था।

3. विपक्षी सं.1 राजेन्द्र सिंह चावला प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी4932 के पंजीकृत स्वामी की ओर से 15 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं, कि क्लेम फर्जी है तथा एफ.आई.आर. अति बिलंब से फर्जी लिखाई गई है। घटना के दिनाँक को प्रश्नगत ट्रक आगरा में उनके ऑफिस में मय चालक बलवीर एवं क्लीनर गोबिन्द के साथ मौजूद था। चालक बलवीर के पास ट्रक चलाने का वैध लाइसेंस है तथा घटना के दिनाँक को उपरोक्त ट्रक न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी (विपक्षी सं.2) से विधिवत् बीमित था व वाहन के सभी कागजात वैध थे। यदि क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी का पाया जाता है, तो उसकी अदायगी की सम्पूर्ण जिम्मेंदारी विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी की होगी।

4. विपक्षी सं.2 न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी 4932 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 13 बी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत ट्रक के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.02 11:02:31 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim tribunal Jhansi

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.06 18:34:44 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। बीमा कंपनी द्वारा योगदाई उपेक्षा का भी-अभिवचन किया गया है।

5. विपक्षी सं.3 प्रश्नगत ट्रक का चालक बलवीर सिंह पर्याप्त तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं आया और उसने कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया है। अतः विपक्षी सं.3 के विरूद्ध न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 01.05.2019 के अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई है।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 01.05.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 02.03.2017 को समय दोपहर करीब ३:00 बजे स्थान राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास झाँसी दतिया रोड, चौकी ग्वालियर रोड, थाना सीपरी बाजार, झाँसी में ट्रक सं. यूपी93 टी4932 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये मोटर साईकिल सं. एमपी23 बी4337 में टक्कर मार दी, जिससे मोटर साईकिल चालक रमेश कुशवाहा के साथ मोटर साईकिल पर बैठे याची बृज लाल को गम्भीर चोटें आयीं ?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना मोटर साईकिल सं. एमपी23 बी4337 के चालक की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई ?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना व समय पर ट्रक सं. यूपी93 टी4932 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?

4. क्या प्रश्नगत दुर्घटना व समय पर ट्रक सं. यूपी93 टी4932 विपक्षी सं.2 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि. से विधिवत् बीमित था और वाहन का संचालन बीमा शर्तो के अधीन किया जा रहा था ?

5. क्या याची विपक्षीगण से प्रतिकर की धनराशि पाने का हकदार है, यदि हाँ तो कितनी व किससे ?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से-

अभिलेखीय

1. फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1/1 लगायत 11 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, आधार कार्ड व बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,
2. फेहरिस्त 22 सी1/1 लगायत 22 सी1/2 के माध्यम से 23 सी1/1 लगायत 41 सी1/ 96 प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट ट्रक व मोटर साईकिल की सत्य-प्रतिलिपियाँ, याची का चिकित्सीय पर्चा, मुक्ति पत्र, पंजीयन प्रमाण-पत्र मोटर साईकिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को दिये गये प्रार्थनापत्र की छाया प्रतियाँ, असल रजिस्ट्री रसीद, दो किता नेट से प्राप्त डिलेवरी प्रमाण-पत्र, ट्रक का पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा पॉलिसी, डी.एल. बलवीर, आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियाँ व याची के दवाओं के असल बिल व दवाओं के पर्चे आदि शामिल हैं,
3. फेहरिस्त 43 सी1 के माध्यम से 44 सी1 कन्साइनमेंट की ट्रेकिंग की प्रति
4. फेहरिस्त 55 सी1 के माध्यम से 56 सी1 असल विकलांगता प्रमाण-पत्र
5. फेहरिस्त 64 सी1 के माध्यम से 65 सी1 लगायत 74 सी1/5 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं,

जिनमें एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झाँसी, उपचार हॉस्पिटल, झाँसी, सी.एम.एस. दतिया, जिला अस्पताल दतिया से आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी गई सूचना हेतु दिये गये प्रार्थनापत्र व उनके जवाब से संबंधित प्रपत्र इंजरी रिपोर्ट, बी.एच.टी. व रसीद आदि शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.1 रमेश याची सं.1 चुटैल, पी.डब्लू.2 देवेन्द्र कुशवाहा चक्षुदर्शी साक्षी व याची का चचेरा भाई,

विपक्षीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

विपक्षीगण सं.1 की ओर से फेहरिस्त 57 सी1 के माध्यम से 58 सी1 लगायत 63 सी1 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

मौखिक साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है,

8. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2</u>

वाद बिन्दु सं.1 कथित प्रश्नगत ट्रक संख्या यूपी93 टी4932 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना कारित होने से याची को चोटें आने के संबंध मे है तथा वाद बिन्दु सं.2 मोटर साईकिल सं. एमपी23 बी 4337 के चालक की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के

कारण दुर्घटना घटित होने के संबंध में हैं। दोनों वाद बिंदु एक दूसरे से संबंधित हैं अतः दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन वाद बिन्दुओं को साबित करने के लिये याची की ओर से फेहरिस्त 22 सी1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, यांत्रिक परीक्षण रिपोर्टस की सत्यप्रतिलिपियाँ 23 सी1 लगायत 27 सी1/2, याची के महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी के पर्चे की छाया प्रति 28 सी1, उपचार हॉस्पिटल, झाँसी की डिस्चार्ज-समरी 29 सी1 तथा फेहरिस्त 64 सी1 से महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी की याची की इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रति 66 सी1/2, उपचार हॉस्पिटल, झाँसी की याची की बी.एच.टी 68 सी1/1 लगायत 68 सी1/12 की छाया प्रति दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 याची सं.1 रमेश चुटैल व पी.डब्लू.2 देवेन्द्र कुशवाहा स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 याची रमेश तथा चक्षुदर्शी पी.डब्लू.2 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे याचिका में किए गए अभिवचनों का समर्थन किया है। दोनों साक्षियों की प्रति परीक्षा में दुर्घटना के बिंदु पर साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है जिससे कि इन साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

10. विधि व्यवस्था Ravi v. Badrinarayan & ors. **(18.02. 2011-SC): ANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि-

> **"21. The purpose of lodging the FIR in such type of cases is primarily to intimate the police to initiate investigation of criminal offences. Lodging of FIR certainly proves factum of accident so that the victim is able to lodge a case for compensation but delay in doing so cannot be the main ground for rejecting the claim petition. In other words, although lodging of FIR is vital in deciding motor accident claim cases, delay in lodging the same should not be treated as fatal for such proceedings, if claimant has been able to demonstrate satisfactory and cogent reasons for it. There could be variety of reasons in genuine cases for delayed lodgment of FIR. Unless kith and kin of the victim are able to regain a certain level of tranquility of mind and are composed to lodge it, even if, there is delay, the same deserves to be condoned. In such circumstances, the authenticity of the FIR assumes much more significance than delay in lodging thereof supported by cogent reasons."**

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जो लगभग 5 माह का बिलम्ब हुआ है, उसका स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची द्वारा दिया गया है। पी.डब्लू.2 के रूप में याची के चचेरे भाई ने यह मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि है कि दुर्घटना के पश्चात व घायलों को लेकर मेडिकल कॉलेज 108 नंबर से ले गया था वह मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के बाद थाना सिपरी बाजार में रिपोर्ट लिखाने गया था। तब पुलिस ने कहा कि जब चोटहिल आएगा तब रिपोर्ट लिखेंगे। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। दुर्घटना के पश्चात उसने थाने पर सूचना पहुंचाई थी लेकिन थाने पर सूचना नहीं ली थी और यह कहा था कि चुटैल व्यक्ति स्वयं रिपोर्ट लिखवाने आएगा तब रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वह अस्पताल में 2 माह से ज्यादा भर्ती रहा था। पट्टी तीन चार माह तक कटे पैर की हुई थी। जब उसे पैर से थोड़ा सा आराम मिला तब व एंबुलेंस से थाना सीपरी बाजार झांसी में दिनांक 10.8.2017 को रिपोर्ट लिखवाने गया था। उसको देखने के पश्चात रिपोर्ट लिखी थी। प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इन दोनों साक्षियों की रिपोर्ट लिखाने में हुए विलंब के बिंदु पर दिए गए बयान की सत्यता पर संदेह किया जा सके। क्योंकि याची की ओर से रिपोर्ट लिखाने में हुए विलंब के बिंदु पर स्वीकार्य स्पष्टीकरण दिया गया है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि इस मामले में रिपोर्ट लिखाने में हुआ विलंब घातक नहीं है।

11. दोनों साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना आमने-सामने की है। विधि व्यवस्था Bijoy Kumar Dugar vs. Bidyadhar Dutta and Ors. (01.03.2006 - SC) : MANU/SC/1027/2006 and Minu Rout and Ors. vs. Satya Pradyumna Mohapatra and Ors. (02.09.2013 – SC): MANU/SC/0912/2013 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि-

> **'when the vehicles had a head-on collision, the drivers of both the vehicles should be held responsible to have contributed equally to the accident.'**

विधि व्यवस्था Thomas vs. P. Sivasubramaniam and Ors (03.01.2013 - MADHC) : MANU/TN/0728/2013 यह धारित किया गया है कि-

> **"...merely because, there is a head on collision, it cannot be contended that it is a case of contributory negligence, on the**

> **part of both the drivers of the vehicles involved in the accident. No doubt, last opportunity theory of avoiding an accident can be applied to a case of head on collision. In the case of head on collision, negligence to be fixed on the drivers of the vehicles, involved in the accident, depends upon the evidence adduced by the parties. The appellant has not alleged any negligence on the driver of the Transport Corporation bus and from the manner of accident, averred by the appellant, the plea of composite negligence cannot be countenanced...”**

विधि व्यवस्था Machindranath Kernath Kasar vs. D.S. Mylarappa and Ors. (29.04.2008 - SC) : MANU/SC/2484/2008 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि-

> **"As it is imperative on the part of the Tribunal to specify the amount payable by the driver of the vehicle under Section 168, a fortiori driver should be impleaded as a party in the proceeding." In the case of The Municipal Corporation of Greater Bombay vs. Laxman Iyer and Ors. (27.10.2003 - SC) : MANU/SC/0836/2003 Honorable Apex Court held that where there has been no contributory negligence on the part of the victim, the question of apportionment does not arise. Where a person is injured without any negligence on his part but as a result of combined effect of the negligence of two other persons, it is not a case of contributory negligence in that sense. It is a case of what has been styled by Pollock as injury by composite negligence.**

प्रस्तुत प्रकरण में ट्रक चालक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अग्रसारित की गई है। ट्रक चालक की ओर से योगदाई उपेक्षा का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया है। याची की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण से भी योगदाई उपेक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। विवेचना अधिकारी द्वारा बनाई गई नक्शा नजरी में भी मोटरसाइकिल चालक अपने बाएं हाथ पर है और ट्रक चालक ने गलत दिशा में आकर मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी है। इस प्रकार मैं उक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक मे इस निष्कर्ष का हूं कि इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की कोई योगदाई उपेक्षा नहीं रही है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है-

12. 26 सी1/2 व 27 सी1/2 यांत्रिक परीक्षण रिपोर्टस की सत्य प्रतिलिपियों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त उक्त प्रश्नगत ट्रक व मोटर साईकिल के निरीक्षणकर्ता द्वारा यांत्रिक परीक्षण किया गया है। दोनों वाहनों की तकनीकी आंख्या में मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया है जबकि ट्रक के बाएं हिस्से में इंडिकेटर टूटा हुआ व बंपर में स्क्रैच पाए गए हैं जिससे भी दुर्घटना की पुष्टि होती है। 23 सी1/1 लगायत 23 सी1/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट चुटैल याची रमेश द्वारा दिनाँक 02.03.2017 की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक 10.08.2017 को ट्रक नं. यूपी93 टी4932 के अज्ञात चालक के विरूद्ध अंकित कराई है। 24 सी1/1 लगायत 24 सी1/3 आरोप-पत्र की सत्य-प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि इस दुर्घटना में विवेचक ने बलवीर सिंह (विपक्षी सं.3) प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी4932 के चालक के विरूद्ध ही संबंधित धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया है। 28 सी1 व 66 सी1/2 सी1 महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी के याची के पर्चे व इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रतियों के अवलोकन से विदित होता है कि दिनाँक 02.03. 2017 को ही म.ल. मेडिकल कॉलेज, झाँसी में याची द्वारा संबंधित चिकित्सक से इलाज कराया व चिकित्सक ने उसकी चोटों का परीक्षण किया गया है तथा चुटैल की वर्णित चोटें आर.टी.ए. से आने का उल्लेख किया है। 68 सी1/1 लगायत 68 सी1/12 याची की उपचार हॉस्पिटल, झाँसी की बी.एच.टी की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि याची को दिनाँक 02.03.2017 को उक्त अस्पताल में भर्ती किया गया जहाँ उसकी चोटों का इलाज हुआ तथा उसे दिनाँक 03.05.2017 को उक्त अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वह अस्पताल में दो माह से ज्यादा भर्ती रहा है। इस प्रकार दुर्घटना में चुटैल करीब दो माह तक भर्ती रहा है, जिसका समर्थन याची की उक्त बी.एच.टी. से भी होता है। अतः दुर्घटना में गम्भीर चोटें आने के कारण प्रथम

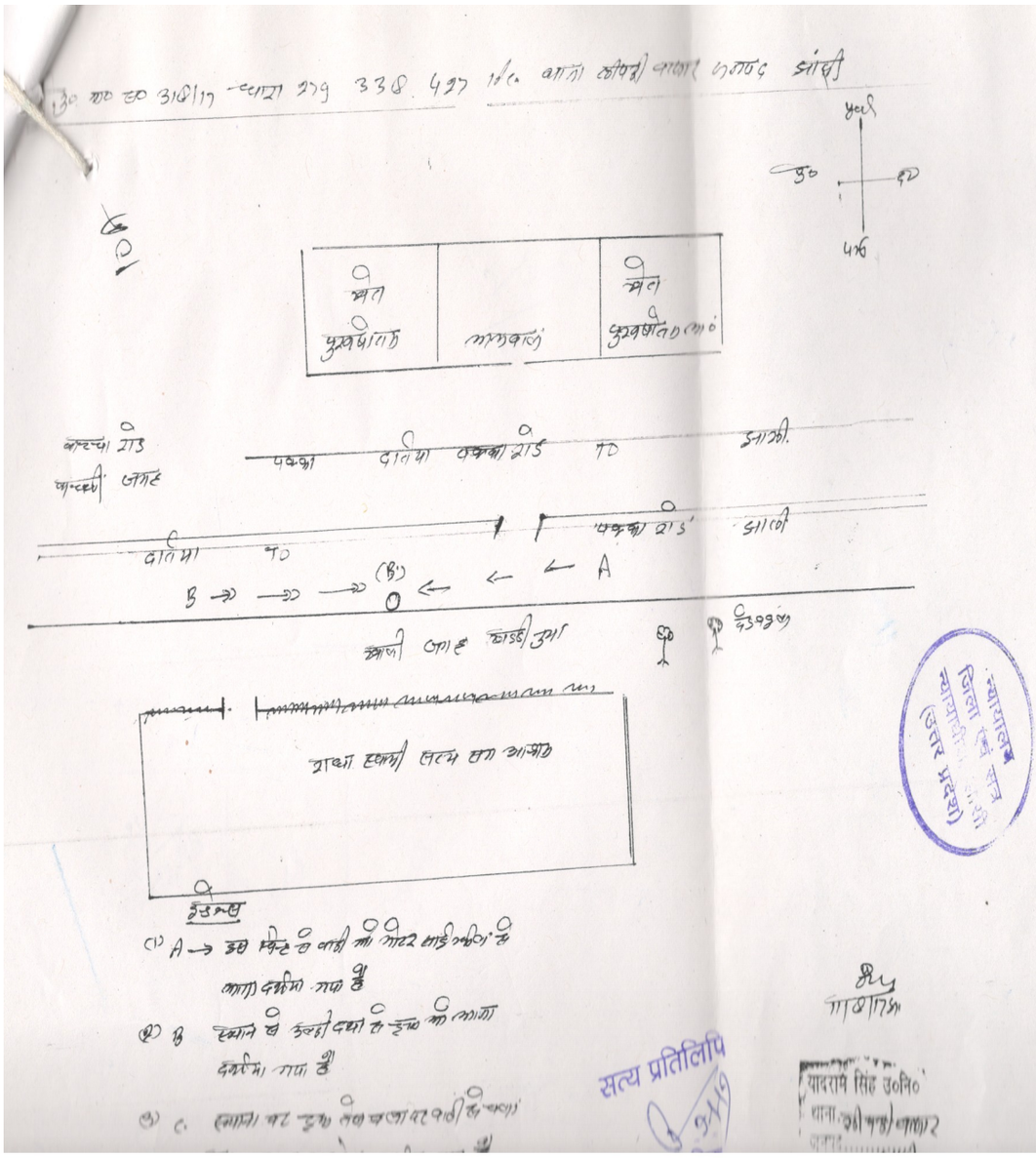

सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज होना स्वभाविक है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 02.03.2017 को समय दोपहर करीब ३:00 बजे स्थान राधा स्वामी सत्संग आश्रम के

पास झाँसी दतिया रोड, चौकी ग्वालियर रोड, थाना सीपरी बाजार, झाँसी में ट्रक सं. यूपी93 टी4932 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये मोटर साईकिल सं. एमपी23 बी4337 में टक्कर मार दी, जिससे मोटर साईकिल चालक रमेश कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयीं तथा प्रश्नगत दुर्घटना मोटर साईकिल सं. एमपी23 बी 4337 के चालक की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के कारण घटित नहीं हुई है। वाद बिन्दु सं.1 व 2 तदनुसार निर्णीत किये जाते हैं।

13. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3

वाद बिन्दु सं.3 इस आशय का है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना व समय पर ट्रक सं. यूपी93 टी4932 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं.1 की ओर से प्रपत्र सं. 62 सी1 तथा याची की ओर से 38 सी1 प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी4932 के चालक बलवीर सिंह के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं, जिसके अनुसार चालक बलवीर सिंह के पास दिनाँक 07.09.1999 से 15.06.2019 तक ट्रक चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। उक्त ड्राईविंग लाइसेंस का खंण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। चालक बलवीर सिंह के विरुद्ध ही आरोप-पत्र प्रस्तुत हुआ है। दुर्घटना दिनाँक 02.03.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना के दिनाँक व समय पर ट्रक सं. यूपी93 टी 4932 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। वाद सं.2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

14. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 37 सी1 व विपक्षी सं.1 की ओर से प्रपत्र सं. 61 सी1 प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी4932 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गयीं हैं, जिनके अनुसार प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी4932 का बीमा दिनाँक 17.05.2016 से 16.05.2017 तक वैध एवं प्रभावी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं.1 द्वारा प्रश्नगत ट्रक पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट व स्वस्थता प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियाँ 58 सी1 लगायत 60 सी1 भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र का खंडन विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक 02.03.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना व समय पर ट्रक सं. यूपी93 टी4932 विपक्षी सं.2 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि. से विधिवत् बीमित था और वाहन का संचालन बीमा शर्तों के अधीन किया जा रहा था। वाद बिन्दु सं. 4 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

15. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित है। वाद बिन्दु सं.1 व 2 के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत ट्रक नं. यूपी93 टी4932 के चालक की तेजी व लापरवाही से चलाने से प्रश्नगत दुर्घटना घटित हुई है जिसमें याची को गम्भीर चोटें आई है तथा प्रश्नगत दुर्घटना मोटर साईकिल सं. एमपी23 बी4337 के चालक की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के कारण घटित नहीं हुई है। अतः याची रमेश कुशवाहा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। चूँकि वाद बिन्दु सं.3 व 4 में यह निर्णीत किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना के समय ट्रक सं. यूपी93 टी4932 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था एवं प्रश्नगत दुर्घटना के समय पर ट्रक सं. यूपी93 टी4932 विपक्षी सं.2 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि. से विधिवत् बीमित था और वाहन का संचालन बीमा शर्तों के अधीन किया जा रहा था। अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.2 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि.है।

16. क्षतिपूर्ति की गणना-

याची की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है दुर्घटना के समय याची राज-मिस्त्री का कार्य करता लेकिन दुर्घटना में आई चोटों के कारण याची का दाँया पैर घुटने के ऊपर से कट जाने के कारण उसे स्थायी अपंगता प्रमाण-पत्र के अनुसार 70 प्रतिशत स्थायी अपंगता आई है और याची की कार्य करने की क्षमता शत प्रतिशत खत्म हो गई है। याची ने अपने कथनों के समर्थन में महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी की इंजरी रिपोर्ट 66 सी1/2 सी1, उपचार हॉस्पिटल, झाँसी की बी.एच.टी. 68 सी1/1 लगायत 68 सी1/12 तथा फेहरिस्त 55 सी1 से 56 सी1 जिला मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय, दतिया, म.प्र. द्वारा जारी असल विकलांगता प्रमाण-पत्र दाखिल किये गये हैं। याची के उक्त असल विकलांगता प्रमाण-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के दाँये पैर में (Lower limb) में चलन निःशक्तता (अस्थि बाधित) 70 प्रतिशत पायी गई है। याची की इंजरी रिपोर्ट में उक्त के अतिरिक्त याची को अन्य चोटें भी आई हैं। विधि व्यवस्था **Dasrath Vs. Alok Kumar Dubey and Ors. (08.09.2017-ALL HC): MANU/UP/2269/2017** में माननीय उच्च न्यायाल, इलाहाबाद द्वारा तथा विधि व्यवस्था **Parmanand Katara Vs. Union of India (UOI) and Ors. (28.08. 1989. SC): MANU/SC/0423/1989** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अंपगता प्रमाण-पत्र लोक दस्तावेज है, जिसे साबित करने के लिए चिकित्सक को नहीं बुलाया जाना चाहिए। मेरे विचार से न्यायाधिकरण स्वयं वास्तविक अपंगता अर्थात अपंगता से अर्जन क्षमता

से ह्रास का प्रतिशत तय कर सकता है। विधि व्यवस्था **Sandeep Khanuja Vs. Union of India (UOI) and Ors. (02.02.2017 SC): MANU/SC/0108/2017** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि चोट के मामलों में, चोट की प्रकृति और स्थायी विकलांगता का वर्णन प्रासंगिक कारक हैं और यह देखा जाना चाहिए कि घायलों की कमाई क्षमता पर इस तरह की चोट/विकलांगता का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि याची केवल मेज पर ही कार्य करके वेतन अर्जित कर रहा है और उसकी अर्जन क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। मेरे विचार से यदि याची को अकुशल श्रमिक माना जाता है और वह चूंकि ग्रामीण परिवेश का है तो उसके दायें पैर की 70 प्रतिशत विकलांगता पर 75 प्रतिशत अर्जन क्षमता की कमी अवश्य आएगी क्योंकि याची ने पी.डब्लू.1 के रूप में कथन किया है कि दुर्घटना में उसका दाँया पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, कई जगह से हड्डियाँ टूट गई थीं, जिसका ऑपरेशन कर फिक्सेटर लगाया गया था लेकिन आराम न मिलने पर उसके पैर को घुटने के नीचे से काटा गया। इसके बाद आराम न मिलने पर दांये पैर का ऑपरेशन कर घुटने के ऊपर से काटा गया, दांयी जाँघ की हड्डियाँ टूट कर अलग हो गई थीं, जिसका ऑपरेशन कर तीन छड़ें डाली गई, जिन्हें निकलवाने के लिये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आगे उसने यह भी कथन किया है कि पैर कट जाने के कारण वह कार्य करने में पूर्णतया असमर्थ हो गया है, अपने दैनिक क्रिया कर्म भी किसी दूसरे के सहारे के बगैर नहीं कर पाता है। अकेले कहीं आ-जा नहीं पाता है। उसे नकली पैर बनवाना है। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी के विरोध में किये गये तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं ।

17. याची की ओर से अपने इलाज में हुये व्यय के सम्बन्ध में फेहरिस्त 22सी1 से ₹73,550 के दवाओं के बिल/कैश मेमो व पर्चे आदि दाखिल किये हैं, जिन्हें न्यायाधिकरण उचित पाता है। याची की ओर से उपचार हॉस्पिटल, झाँसी में भर्ती रहकर इलाज कराने के संबंध में डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र दाखिल किया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि याची उक्त अस्पताल में दो माह से अधिक समय तक भर्ती रहा है तथा उसका वर्णित इलाज हुआ है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची ने साक्ष्य दी है कि उसने सभी मदों में उसने ₹49,00,000 का दावा किया है। इस प्रकार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याची को इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर हुये व्यय के मद में दाखिल बिलों की धनराशि **₹73,550**, मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिये **₹40,000**, पुष्टाहार के लिये **₹15,000,** सहायक की सेवाओं के लिए एक मुश्त **₹15,000**, इलाज के आवागमन पर हुये ब्यय के मद में **₹10,000**, याची को दिलाया जाना न्यायाधिकरण न्यायोचित समझता है।

18. याची ने याचिका में राज-मिस्त्री के कार्य करने से अपनी आय ₹15,000 मासिक अंकित की है तथा पी.डब्लू.1 के रूप में साक्ष्य में भी उसने उक्त कार्य से प्रतिदिन आय ₹15,000 होने का कथन किया है। हलाँकि पी.डब्लू.1 हितबद्ध साक्षी है और उसने अपनी आय व राज-मिस्त्री होने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है परंतु वास्तव मे उत्तर भारत मे सामान्यतः राज-मिस्त्रियों के पास राज-मिस्त्री होने का कोई अभिलेख होता भी नही है। प्रति परीक्षा मे इस साक्षी ने राज-मिस्त्री के कार्य मे प्रयुक्त होने वाले उपकरण गुनिया का साइज 24X12 इंच बताया है। हलाँकि गुनिया चार-पाँच साइज मे व लोहे, स्टील व प्लास्टिक मे उपलब्ध होती हैं किंतु भारत के राज-मिस्त्री सामान्यतः 24X12 इंच की गुनिया का प्रयोग करते हैं जो लकड़ी की बनी होती है। इस साक्षी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह राज-मिस्त्री का कार्य करता था जो कि कुशल मजदूर की श्रेणी मे आता है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार विधि व्यवस्था Shrikrishna vs. Surendra Singh and Ors. (25.03.2014 - ALLHC) : MANU/UP/0619/2014 व Sri Ram General Insurance Co. Ltd. vs. Rashida Banno and Ors. (27.08.2018 - ALLHC) : MANU/UP/3090/2018 के आलोक मे कुशल मजदूर की कल्पित आय (Notional Income) ₹200 निर्धारित की जाती है।

19. याची ने याचिका में अपनी उम्र 49 वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.1 के रूप में भी याची रमेश ने दिनाँक 05.08.2019 को बयान देते समय अपनी उम्र 51 वर्ष होना बताई है। इंजरी रिपोर्ट में याची रमेश चुटैल की उम्र लगभग 50 वर्ष अंकित है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं की चुटैल की आयु दुर्घटना के समय 50 वर्ष से कम थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017- SC) : MANU/SC/1366/2017 व Pappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 के अनुसार गुण्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए यदि मान लिया जाय कि मृत्यु हुई होती तो 13 का गुणक प्रयोज्य होता तथा 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए ~~20~~ 25 प्रतिशत भविष्य में प्रत्याशा की बृद्धि होती, तो-

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	200	30	12	72000
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			25	18000
गुण्य				90000
गुणक			13	1170000
स्थाई अपंगता (प्रतिशत में)			75	877500
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के मद में			40000	917500
इलाज पर खर्च के मद में			73550	991050
पुष्टाहार पर खर्च के मद में			15000	1006050
यातायात पर हुये व्यय के मद में			10000	1016050
सहायक पर हुए व्यय के मद में			15000	1031050
कुल क्षतिपूर्ति				1031050

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹10,31,050 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019- SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 – SC): MANU/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की पांच वर्षीय सावधि जमा से त्रैमासिक ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं.5 निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं.2 न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि **₹10,31,050 (दस लाख इकतीस हजार पचास)** मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 2 न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं. 3671000101192489 आई.एफ.सी.सं. PUNB 0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याची रमेश कुशवाहा को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि का 70 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा में 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी जिसका त्रैमासिक/मासिक ब्याज याची प्राप्त करता रहेगा। शेष ~~20~~ 30 प्रतिशत धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद स्थानान्तरित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक 02.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 02.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी

Typographical error corrected
vide order dated 02.07.2021

PO
MACT, Jhansi
06.07.2021